श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 3 जुलाई, 1986

सं० ओ०वि०/रोहतक/7-86/22722.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० मैनेजिंग डायरैक्टर, दी स्टेट कोआपरेटिव लैण्ड डिवैल्पमैंट बैंक लि०, सैक्टर 22, चण्डीगढ़, (2) मैनेजर दी रोहतक प्राईमरी कोआपरेटिव लैण्ड डिवैल्पमैंट बैंक लि०, रोहतक, के श्रमिक श्री कृष्ण कुमार, पुत्र निहाल सिंह, गांव व डा० खरड़-अलिपुर, जिला हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री कृष्ण कुमार, पुत्र निहाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

दिनांक 4 जुलाई, 1986

सं० ओ०वि०/हिसार/64-86/23080.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, (2) हैड पशु विभाग उत्पादन तकनीकी कालिज आफ पशु विज्ञान, कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, के श्रमिक श्री बलवन्त सिंह मार्फत मजदूर एकता यूनियन, नागोरी गेट, हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री बलवन्त सिंह, की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/अम्बाला/40-86/23087.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० मैनेजिंग डायरैक्टर, हाऊसिंग बोर्ड, हरियाणा, चण्डीगढ़, (2) कार्यकारी अभियन्ता, कन्सट्रक्शन डिविजन, हाऊसिंग बोर्ड, हरियाणा, चण्डीगढ़, के श्रमिक श्री अशोक कुमार, पुत्र श्री दीवान चन्द्र, मार्फत मकान नं० 2796, सैक्टर 15, पंचकूला, (अम्बाला) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम दिनांक 18 अप्रैल, 1985, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री अशोक कुमार, की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?